भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 502

05 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि कानूनों के तहत विवादों का न्याय निर्णयन

502 श्री कुमार केतकर:

श्री नीरज डांगी:

श्री प्रियंका चतुर्वेदी:

श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

श्री आनन्द शर्मा:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

डा. अमी याज्ञिक:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारण है कि सरकार ने सभी सिविल न्यायालयों का किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता (अधिकार प्रदान और सुरक्षा) और कृषि सेवा अधिनियम 2020 के तहत विवादों का न्याय निर्णयन करने पर रोक लगा दी है और इसे कार्यपालक अधिकारियों को हस्तान्तरित कर दिया है;

(ख) क्या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) और कलेक्टर समेत उपर्युक्त कार्यपालक अधिकारी इन विधानों से होने वाले विवादास्पद कानूनी और संविदात्मक विवादों का न्याय निर्णयन करने के लिए सुसज्जित है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त के औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 के तहत कृषि अधिनियमों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए, एक त्वरित और लागत प्रभावी विवाद निवारण तंत्र, सुलह बोर्ड के माध्यम से उप-मंडल स्तर पर इसके बाद उप-मंडलीय प्राधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा किसानों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ख) एवं (ग): जी हां। उप-मंडल स्तर पर कार्यकारी अधिकारी और जिला कलेक्टर भू-राजस्व से संबंधित कार्य करते हैं जिसमें भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करना तथा फसलों और भूमि से संबंधित विवादों को हल करना शामिल है। इस प्रकार, उन्हें कृषि एवं भूमि विवादों आदि कार्यों से संबंधित फील्ड अनुभव होता है। उपरोक्त के मद्देनजर, उन्हें इन कृषि कानूनों से उत्पन्न सभी कानूनी और संविदात्मक विवादों का निपटान करने के अधिकार दिए गए हैं।

****